-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 30.08.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना पैलानी पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों से चोरी करने वाले 02अभियुक्तों को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार । अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, चोरी का मोबाइल सहित नगद रुपए बरामद ।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पैलानी पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 29.08.2025 को थाना पैलानी पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 02 युवक जो थाना गिरवां क्षेत्र के पिपरहरी मोड़ के पास खडे हैं जो संदिग्ध प्रतीत हो रहें है व चोरी करने की फिराक में हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर जाकर युवकों को हिरासत में लिया गया । तलाशी में के दौरान उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस सहित चोरी का मोबाइल व 7150/- नगद रुपये बरामद हुए। कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उन्होने दिनांक 26.01.2025 को पिपरहरी मे, दिनांक 04.04.2025 को निवाइच मे तथा दिनांक 08.07.2025 को सिंधनकला में चोरी किए थे ये मोबाइल और नगदी उसी चोरी के है । जिसके सम्बन्ध में थाना पैलानी में अभियोग पंजीकृत है। पुलिस द्वारा अभियुक्तों के पास से बरामद अवैध तमंचा, कारतूस, मोबाइल व नगदी को कब्जे में लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 332 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 332 बोर
- 01 मोबाइल (चोरी का)
- 7150 रुपए नगद (चोरी के सामान की बिक्री से प्राप्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नरेन्द्र प्रजापति पुत्र किशोरी प्रजापति निवासी छोटी बाजार थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. भूरी उर्फ लवकुश पाल पुत्र रामलाल पाल निवासी लिलरी थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर हाल पता काशीराम कालॅानी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 20/25 धारा 305 बीएनएस थाना पैलानी जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 79/25 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना पैलानी जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 171/25 धारा 305 बीएनएस थाना पैलानी जनपद बांदा।
   समाहित धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पैलानी जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नरेन्द्र-

1. मु0अ0सं0 224/21 धारा 380/411/457 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 714/22 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 835/23 धारा 323/326/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि श्री सुरेश कुमार
2. उ0नि0 श्री रवि कुमार
3. उ0नि दानबहादुर पाल
4. कां0 निहाल गजा
5. कां0 प्रवेश पटेल